



दूरभाष— 2286709
2286710
नव घेतगा केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : ३५१ / ३६ / ७६ / एक / २०१५—१६
सेवा में,

दिनांक : ०५ मई २०१५

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद—झांसी।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५—१६ में सूड़ा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५—१६ में आपके जनपद को आसरा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई हैः—

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बैंक आफ बड़ौदा	29560100008794	IFSC Code BARBOSIPRIB	749.575

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	जनपद / निकाय का नाम	अनुदान संख्या	आवासों की संख्या	किश्त संख्या	अवमुक्त धनराशि
1	झांसी / एच-१	37	144	I	223.575
2	झांसी / झांसी एच-१	83	144	I	138.165
3	झांसी / झांसी	83	120	I	169.355
4	झांसी / एच-द्वितीय	83	84	I	104.040
5	झांसी / एच-द्वितीय	37	84	I	114.440
	योग				749.575

उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों में चिह्नित आसरा योजना में प्रस्तावित उपरोक्त आवासों की परियोजनाओं में योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जायेः—

- 1— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत डी०पी०आर० / परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— योजनान्तर्गत जो भी कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार / स्थानीय विधि / नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत / अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 3— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष २०१५—१६ में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभियान को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र / अवशेष धनराशि अभियान को नहीं प्राप्त होती है तो उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।



दूरभाष— 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

4—

उक्त धनराशि डूड़ा/कार्यदायी संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें, क्योंकि स्वीकृत परियोजना/निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण न कराये जाने की दशा में कोई भी मूल्य वृद्धि मान्य नहीं होगी।

5—

प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6—

सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

7—

सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से डूड़ा द्वारा प्रथम किश्त की प्रेषित धनराशि में उल्लिखित एम०ओ०य०० (अनुबन्ध) की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी होगी अथवा अनुबन्ध निष्पादित करने के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाये।

8—

डूड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के अनुरूप स्थल पर सम्पादित किये गये कार्य निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्तापरक हैं, आदि का अनुश्रवण स्थानीय स्तर पर डूड़ा के सहायक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीप,

(लाल प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।
3. निदेशक, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
4. श्री संजीव अग्रवाल, सहायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अनुभाग, सूडा।
5. कम्यूटर सेल—सूडा।
6. लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक